जिला सैनिक कल्याण, सोलन, के सैनिक विश्राम गृह, सोलन के निधि लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/03

भाग - प्रथम

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

विभाग द्वारा गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कोई सन्तोषजनक कार्रवाही नहीं की गई है। जो कि खेदजनक है। अतः विभाग के उच्चाधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु विभाग को तुरन्त उचित निर्देश दिये जाएं। अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई के सत्यापन उपरान्त, अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/77 से 3/80.

1. पैरा 14 : अनिर्णीत

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/84.

1. पैरा 4(डी) : अनिर्णीत
2. पैरा 6(बी) : अनिर्णीत
3. पैरा 6(जे) : अनिर्णीत

(ग) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/86.

1. पैरा 4(बी) :- अनिर्णीत
2. पैरा 6 : अनिर्णीत

(घ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87

1. पैरा 4(बी) (ई) व (एफ) :- अनिर्णीत
2. पैरा 6(बी) व (सी) : अनिर्णीत

(ङ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/91

1. पैरा 4 : अनिर्णीत
2. पैरा 5 : अनिर्णीत
3. पैरा 6 : अनिर्णीत

पैरा 7 : अनिर्णीत
4. पैरा 9 : अनिर्णीत
5. पैरा 10 : निर्णीत
6. पैरा 11 : अनिर्णीत
7. पैरा 14 : निर्णीत
8. पैरा 15 (क) : अनिर्णीत
9. पैरा 16 : निर्णीत
10. पैरा 17 : अनिर्णीत
11. पैरा 18 : अनिर्णीत
12. पैरा 19 : निर्णीत
13. पैरा 20 : अनिर्णीत
14. पैरा 22 : अनिर्णीत
15. पैरा 23 : निर्णीत
16. पैरा 24 (अ) : निर्णीत
17. पैरा 25 : निर्णीत
18. पैरा 27 : निर्णीत
19. पैरा 29 (क) : अनिर्णीत
20. पैरा 29 (ग) : अनिर्णीत
21. पैरा 29 (घ) : अनिर्णीत
22. पैरा 30 : अनिर्णीत
23. पैरा 31 : अनिर्णीत
24. पैरा 33 (ख) व (ग) : अनिर्णीत
25. पैरा 34 (क) से (ग) : अनिर्णीत
26. पैरा 35 (क) से (ग) : अनिर्णीत

(5) 227

(5) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 1/91 से 3/97

1. पैरा 5 अनिर्णीत
2. पैरा 6 अनिर्णीत
3. पैरा 7 निर्णीत (आंशिक रूप से) मु० 943 रु० की वसूली की जानी शेष है।
4. पैरा 8 निर्णीत
5. पैरा 9 अनिर्णीत
6. पैरा 10 अनिर्णीत
7. पैरा 11 अनिर्णीत
8. पैरा 12 अनिर्णीत
9. पैरा 13 अनिर्णीत
10. पैरा 14 अनिर्णीत
10 पैरा 15 अनिर्णीत
11 पैरा 16 अनिर्णीत
12. पैरा 17 अनिर्णीत

भाग - दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षा :—

अवधि 4/97 से 3/03 के लेखाओं की वर्तमान लेखा परीक्षा, हरदेव सिंह [illegible], अनुभाग अधिकारी द्वारा 20-11-03 से 22-11-03, 24-11-03 से 25-11-03, 27-11-03 से 29-11-03 तक व दिनांक 1-12-03 को सम्पन्न की गई। आगामी पैरो में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। माह 7/97, 2/98, 4/98, 3/99, 10/99, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 7/01, 11/01, 10/02 व 11/02 का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया

(अ) 228

3. **वित्तीय स्थिति :-** अवधि 4/97 से 3/03 तक, सैनिक विश्राम गृह निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है!

	आदि शेष	आय	जोड़	व्यय	अन्तिम शेष
7-98	17199=46	1,15,085=10	1,32,282=56	88,762	43520=56
8-99	43520=56	73888=00	1,17,408=56	1,15,103.50	2305=06
9-2000	2305=06	54056=00	56,361=06	39,709	16652=06
0-01	16652=06	59383=70	76035=76	42482	33553=76
-02	33553=76	96755=61	1,30,309=37	60680	69,629=37
-03	69,629=37	92031=64	1,61,661=01	48598=60	1,13,062=41

स्टेट बैंक ऑफ. पटियाला के बचत खाता सं. 011000 50084 में 31-3-03 को जमा राशि = 1,13,062=41

4. **लेखा परीक्षा शुल्क :-** संस्थान के लेखो की अवधि 4/97 से 3/03 की लेखा परीक्षा का शुल्क मु० 5400= रू० बनता है! उक्त शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या! सी० डी०/जे -762951, दिनांक 4-2-04 द्वारा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-9 के प्रेषित कर दी गई!

रु० 5074=00 के किराये की कम वसूली

(क) जिला सैनिक कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। परन्तु निम्न कर्मचारियों से 5074=00 की आवास किराये की राशि नहीं ली गई है। अतः इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जावे तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जावे।

नाम	माह/अवधि जिस का किराया नहीं लिया गया	किराये की दर प्रति माह	राशि
श्री बलदेव राज व० सहायक	10/99 से 12/99	472=00	1416=00
	3/2000 से 8/2000	472=00	2832=00
	11/2000	472=00	472=00
श्री बनारसी दास	2/2002	354=00	354=00
			5074=00

(ख) किराया मांग एवं संग्रह रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया है। भविष्य में उपरोक्त रजिस्टर का रख-रखाव किया जावे ताकि आवास के किराये की वसूली में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न हो।

(6) 23-0

6. मु० 100=00रु० की किराये की राशि का कम वसूल किया जाना :—

निम्न विवरणानुसार सैनिक विश्राम गृह के किराये के रूप में मु०100=00रु० की राशि कम वसूल की गई है। इस राशि को वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस राशि को सम्बन्धित व्यक्तियों/विभागों या दोषी कर्मचारियों से वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत किया जाए।

आगन्तुक रजिस्टर का क्रमांक	विश्राम गृह को किराये पर लेने वाले व्यक्ति/विभाग का नाम	विश्राम गृह को किराये पर लेने की अवधि	कमरा संख्या	जितना किराया लिया जाना चाहिए था	किराया लिया गया	कम लिया गया किराया
3951	डी० सी० ऑफिस सोलन	28 9/98 से 1 3/98	2	40x3=120		
			3	40x3=120		
			4	40x3=120		
			हाल	90x3=270		
				630	—	630=00
4	श्री महेश कुमार जलन्धर कैन्ट	25 10/99 से 27 10/99	हाल	30	15=00	15=00
7661	लै० कर्नल एन० आर० पुरी	14 3/2000 से 18 3/2000	1	4X25=100.	75=00	25=00
7	श्री राजीव कुमार	21 4/2000 से 23 4/2000	हाल	30X2=60	30=00	30=00
					योग :-	100=00

7. **मु० 2500=00रू० के किराये की राशि की कम वसूली**

आगन्तुक रजिस्टर की क्रम संख्या 306 के अनुसार, श्री सुरेश कुमार सूद, (सिविल नागरिक) को पूर्व विश्राम गृह किराये पर दिया गया दर्शाया गया है और इससे 2500 रू० किराये के रूप में लिये गये हैं। जबकि निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश के ज्ञापन संख्या 7-27/2000 सालिग/2001- एस०डब्लयू०डी०-2048, दिनांक 30-9-2001 के अनुसार सिविल नागरिक से विश्राम गृह का एक दिन का किराया 5000 रू० लिया जाना अपेक्षित था। अतः विश्राम गृह का किराया 5000 रू० के स्थान पर 2500 रू० लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा कम लिये गये किराये की राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति या दोषी कर्मचारी से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करें।

8. **मु० 60=00रू० की राशी का कैश बुक में कम जमा किया जाना :-**

निम्न विवरणानुसार विश्राम गृह में ठहरने हेतु आगुन्तकों से 60=रू० की राशी किराये के रूप में वसूल की गई, परन्तु इस राशि को कैश बुक में जमा नहीं किया गया है। अतः इस राशी की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जावे।

दिनांक	रसीद संख्या	किराये की प्राप्त की गई राशि	कैश बुक में जमा की गई राशि	कम जमा राशि
9-7-97	2382	50=00	—	50=00
2-3-2000 व 3-3-2000	1542 से 1544	60=00	50=00	10=00
			योग =	60=00

1. **आगुन्तक रजिस्टर व रसीदों में कटिंग / ओवर राइटिंग किया जाना :-**

आगंतुक रजिस्टर की जाँच के दौरान पाया गया कि इस रजिस्टर में कटिंग व ओवर राइटिंग करके आगुन्तकों के ठहराव की तिथियों को बदला गया है। जैसा कि उक्त रजिस्टर के क्रमांक 152 में श्री अशवनी कुमार, मनी-माजरा, चण्डिगढ, को, विश्राम गृह में ठहराव की तिथि 18-5-2000 से 20-5-2000 को काट करके 16-5-2000 से 19-5-2000 किया गया है। इसी प्रकार उक्त ठहराव के लिए जारी की गई रसीद संख्या 1620 में भी अंतिम ठहराव की तिथि 20-5-2000 को काट करके 19-5-2000 दर्शाया गया है तथा किराये की प्राप्त 60=रू० की राशि को काट कर 30=रू० किया गया है। इस प्रकार रसीद में कटिंग करके कम की गई 30=रू० की राशि की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से शीघ्र की जाए। इस प्रकार आगंतुग रजिस्टर में कटिंग करके किराये की राशि को कम किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए दोषी कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न की जानी सुनिश्चित की जाए।

10. **विश्राम गृह में ठहरने वाले यात्रियों की आगन्तुक रजिस्टर में प्रविष्टि न की जाना:-**

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आगन्तुकों से विश्राम गृह में ठहराव का किराया तो लिया गया है, परन्तु आगन्तुक रजिस्टर में विश्राम गृह में ठहरने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, ठहराव की अवधि तथा कमरा संख्या व हस्ताक्षर नहीं करवाए गए हैं। जबकि विश्राम गृह के नियम 8 के अनुसार विश्राम गृह में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उपरोक्त विवरण तथा उसके हस्ताक्षर आगन्तुक रजिस्टर में करवाये जाने अनिवार्य हैं। इस प्रकार के कुछ प्रकरण उदाहरणार्थ निम्न प्रकार हैं:-

[illegible] की तिथि	रसीद संख्या	प्राप्त की राशि	नाम	टिप्पणी
[illegible]-98	254	160=00	सूबेदार आई० सी० चौहान (ठहराव 14/3/98 से 23/3/98 तक)	आगन्तुक रजिस्टर में [illegible] की प्रविष्टि नहीं की [illegible] है
[illegible]-5-2000	1617	20=00	एस० एस० कौण्डल एस० डी० ओ० पटालिया	— यथोपरि —
[illegible]-2000	24831	1600=00	मै० मदुल [illegible] प्रोजैक्ट, सोलन	— यथोपरि —

विश्राम गृह के आगन्तुक रजिस्टर में उपरोक्त [illegible] का विवरण न दिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक आगन्तुक का उपरोक्त रजिस्टर में [illegible] दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि [illegible] दुरुपयोग व आय में दुर्विनियोजन [illegible]

11. **बिजली के बिलो का भुगतान नियत तिथि को न करने के कारण राशि 225.10 रु० के अधिभार का भुगतान किया जाना :-**

विश्राम गृह के बिजली के बिलो का भुगतान निर्धारित तिथि के पश्चात किये जाने के कारण मु० 225.10 रु० की राशी का भुगतान बिलो में अधिभार के रूप में किया गया है। इस प्रकार बिलो का भुगतान निर्धारित तिथि के पश्चात करने के कारण मु० 225.10 रु० के अधिभार की राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके विश्राम गृह निधि में जमा की जावे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जावे।

क्र.स० / दिनांक	बिल की अवधि	खाता संख्या	बिल के भुगतान की नियत तिथि	किस तिथि को भुगतान किया गया	नियत तिथि को भुगतान की राशी	भुगतान की गई राशि	अधिभार की राशी
[illegible]	6/97 से 7/97	LSG-36	25 8/97	8 9/97	102.40	110=00	7=60
[illegible]	10/97 से 12/97	PNC-159	25 12/97	2 1/98	304=00	333.60	29=60
[illegible]	1/98 से 2/98	LSG-36	24 2/98	13 4/98	1222=40	1288=00	65=60
[illegible]	3/98 से 5/98	LSG-36	23 6/98	23 6/98	1221=00	1257=00	36=00
[illegible]	10/98 से 11/98	LSG-36	25 12/98	12 1/99	928=10	1014=40	86=30
							225.10

उपरोक्त क्र. स० 4 पर दर्शाये गये बिल का भुगतान नियत तिथि 23-6-98 को करने पर भी (बिलो) 36=रु० के अधिभार की राशी के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जावे तथा यह राशी विद्युत विभाग से आगामी बिलो में समायोजित करवाई जावे।

12.(क) **निर्माण कार्यों के बिलों को अभियन्ता द्वारा सत्यापित न करवाया जाना :-**

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पूर्व में किये गये निर्माण कार्यों के बिलों को उपायुक्त कार्यालय के सहायक अभियन्ता से सत्यापित करवाये जाने के उपरान्त ही भुगतान हेतु पारित किया जाता था। परन्तु श्री मंगत राम, चौकीदार के आवास पर छिनार के निर्माण पर निम्न प्रकार से कु० 1261=75 रु० की राशी का व्यय किया गया है। परन्तु न तो बिल को सहायक अभियन्ता से सत्यापित करवाया गया है और न ही अभिलेख में छिनार की माप से सम्बन्धित विवरण दिया गया है। अत: उपरोक्त अपेक्षित कार्रवाई अब की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

वाउचर सं० दिनांक	जिसे भुगतान किया गया	विवरण	राशी
43 27-4-98	मै० जौहरी लाल कंसी ध्वर दी माल सोलन	2 बैग सिमेंट	210=00
44 27-4-98	श्री अनवर मोहम्मद सोलन	20 कट्टे बजरू	400=00
45 27-4-98	श्री काली शर्मा	5 दिन की मजदूरी @ 45.75 P. day	288=15
46 27-4-98	श्री रुली मिस्त्री	5 दिन की मजदूरी @ 57.75 P. day	289=00
		योग -	1261=75

(ख) निम्न विवरणानुसार सैनिक विश्राम गृह के लिए गैरेज के निर्माण पर 7362 रु० की राशी का व्यय दर्शाया गया है परन्तु अभिलेख में गैरेज का माप (लम्बाई, चौड़ाई) इत्यादि का विवरण नहीं दिया गया है और न ही इस कार्य को अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया गया है! अतः अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए!

वाउचर सं०	माह	फर्म का नाम	विवरण	राशी
190	3/99	मै० राजा राम रमेश चन्द्र अग्रवाल सोलन	7 लोहे की चादरें	2065.00
191	3/99	— यथोपरि —	एक लोहे की स्पात चदर	[illegible]
192	3/99	नानकू राम	700 ईंटें	1750.00
193	3/99	मै० बाल चन्द	30 बैग सिमेन्ट	750.00
200	3/99	नानकू राम	लकड़ी का कार्य करने की मिस्त्री की मजदूरी (13×65)	845.00
201	3/99	कंचाना, सपड़ून	मजदूरी (13×51)	663.00
202	3/99	मै० जौहरी मल बन्सी धर, सोलन	6 बैग सिमेन्ट	870.00
203	3/99	श्री मुश्ताक अहमद	मजदूरी (51×4)	204.00

योग :- 7362.00

(ग) विश्राम गृह की नस्ति के पृष्ठ 48 पर की गई टिप्पणी के अनुसार विश्राम गृह के कमरा नं० 4 में टाइले लगवाने के लिए रू० 6291=00 रू० की राशि का व्यय किया गया है परन्तु खरीद से पूर्व बाजार से निविदाऐं नहीं ली गई जिससे बाजार प्रतियोगिता का लाभ नहीं उठाया गया तथा कम से कम कीमत पर क्रय करने का प्रयत्न नहीं किया गया, जो कि क्रय नियमों के विपरीत है। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। जिस कमरे में उपरोक्त टाइले लगाई गई हैं उसका माप (लम्बाई चौडाई) इत्यादि का विवरण अभिलेख में नहीं दिया गया है और न ही उक्त कार्य का सत्यापन अभियन्ता द्वारा किया गया है। उक्त अपेक्षित कार्यवाई शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

क्र०सं०	माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि
127	7/01	मै० वर्मा ट्रेडिंग कं० सपडून	13 बैग सिमेन्ट	815=00
128	7/01	मै० नेशनल एजन्सीज सोलन	2 kg. सफेद सिमेन्ट	30=00
129	7/01	— यथोपरि —	180 टाइले (12"x12")	4118=00
130	7/01	— यथोपरि —	15 टाइले	343=00
131	7/01	मै० लक्ष्मी चन्द, सपडून	मिस्त्री, मजदूरों से उक्त कार्य करवाने के लिए	985=00
			योग	6291=00

धुलाई की दरों को निर्धारित करने बारे।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विश्राम [illegible] विश्राम गृह की चद्दरों, गिलाफों व तौलियों की धुलाई हेतु मैं॰ Beauty Dyer & Dry-cleaner, Solan को समय-2 पर कपड़ो की धुलाई के लिए बिलों का भुगतान किया गया है, परन्तु धुलाई की दरों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। भविष्य में निविदाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम दरे निर्धारित की जाए ताकि धुलाई पर कम से कम राशि व्यय हो सके तथा कपड़ो की धुलाई के लिए एक रजिस्टर का रख-रखाव किया जाए जिसमें धुलाई के [illegible] का पूर्ण विवरण दिया जाए, क्योंकि [illegible] में उपरोक्त बिलों की जानकारी किसी भी रजिस्टर में नहीं की जा रही है।

वाउचर संख्या	दिनांक	फर्म का नाम	विवरण जो बिल में दिया गया	राशि
254	10-2-02	M/S. Beauty Dyer & Dry-cleaner, Solan.	41 चादरें @ Rs 5.00	20[illegible].00
			4 कम्बल कवर @ Rs. 20.00	[illegible].00
			2 [illegible] @ Rs. 20.00	[illegible].00
			राशि	3[illegible].00/-

14. **दैनिक भोगी कर्मचारियों की उपस्थितियों को सत्यापित किये बिना वेतन का भुगतान किया जाना:**

सैनिक विश्राम गृह में तैनात चौकिदार व अंशकालीन सफाई कर्मचारी को उनके मासिक वेतन के बिलों का भुगतान, बिना वेतन के बिल तैयार किये, रसीद द्वारा किया गया है। जबकि नियमानुसार बिल में इन कर्मचारियों की उपस्थितियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के पश्चात बिल को भुगतान के लिए पारित किया जाना चाहिए था। अतः बिना उक्त औपचारिकताएं पूर्ण किये, वेतन के बिलों के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में उपस्थितियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के पश्चात ही वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस प्रकार के कतिपय प्रकरण निम्न प्रकार से हैं।

क्र०सं०	नाम	माह	वेतन के भुगतान की राशि	टिप्पणी
181	सुरेन्द्र (चौकिदार)	2/99	1428=00	भुगतान केवल रसीद द्वारा किया गया है
182	महेश चन्द "	1/99	1581=00	"
53	सुरेन्द्र सिंह "	4/99	1530=00	"
87	सुरेन्द्र सिंह "	2/2000	1479=00	"
1	सुरेन्द्र सिंह "	3/2000	1785=0	"
54	अशोक कुमार (सफाई कर्मचारी)	4/99	390=00	"

15. खरीद किये गये सामान की भण्डारण प्रविष्टि न किया जाना

निम्न विवरणानुसार क्रय की गई वस्तुओं की भण्डारण प्रविष्टि सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई है। इन वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टि सम्बन्धित रजिस्टर में की जाये एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

वाउचर संख्या	दिनांक	फर्म का नाम	क्रय किये गये सामान का विवरण	राशि
53	२५-७-९७	मै० साहनी मेडिकोज सोलन	बेगान स्प्रे	१५२०
43	४-७-९७	मै० हिमाचल फर्नीचर लि० सोलन	देवदार वुडन फ्रेम 18"x4"x2½"	३९०४९/[illegible]

उपरोक्त क्रमांक 2 पर खरीद की गई वुडन फ्रेम को उपयोग में कहां लाया गया इस बारे भी इस विभाग को सूचित किया जाये।

16. स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव करें।

(क) स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार सही प्रकार से नहीं किया गया है क्योंकि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 143 पर बल्ब, फिनाइल, एसिड, झाड़ू, ट्यूब-लाइट, सॉकेट इत्यादि वस्तुओं की प्रविष्टि एक ही पृष्ठ पर की गई है। जबकि नियमानुसार प्रत्येक वस्तु की स्टॉक प्रविष्टि अलग अलग पृष्ठ पर की जानी चाहिए ताकि क्रय वस्तुओं की आसानी से जांच की जा सके। भविष्य में प्रत्येक वस्तु के लिए स्टॉक रजिस्टर में एक पृथक पृष्ठ आवंटित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

(ख) स्टॉक रजिस्टर में वस्तु का क्रय किस फर्म से किया गया है उसका विवरण भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं दिया जाता है जिसे भविष्य में उक्त रजिस्टर में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) स्टॉक रजिस्टर की जाँच के दौरान [illegible] कि निम्न [illegible] (क) में [illegible] को बल्ब [illegible] जी॰ आई॰ पाइप, निप्पल, सॉकेट इत्यादि की खरीद समय-२ पर की गई है, [illegible] स्टॉक रजिस्टर में उक्त सामान किस [illegible] किया गया, किसने यह सामान कहां पर प्रयोग किया, का, कोई ब्यौरा नहीं दिया [illegible] था। इस प्रकार इस सामान के [illegible] बारे में विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि क्या वास्तव में यह सामान खरीदा गया तथा इस का सही [illegible] हुआ या नहीं तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से इस विभाग को [illegible] करें तथा उक्त सामान की खपत का ब्यौरा [illegible] रजिस्टर में भी दिया जाए।

(घ) नियमों के अनुसार बदली गई पुरानी जी॰ आई॰ पाइप, निप्पल, सॉकेट इत्यादि का लेखा/प्रविष्टि भी [illegible] अलग स्टॉक पर की जानी अनिवार्य है अतः पुराने बदले गये सामान के लिए [illegible] अलग स्टॉक रजिस्टर में दर्ज [illegible] किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ङ) इस प्रकार सामान के बार २ [illegible] कारण, तथा इस सामान की [illegible] चौकीदार व अन्य कर्मचारी द्वारा [illegible]

(20) 255 -

किसी लिए खरीदे किया जाना तथा स्टॉक रजिस्टर में सामान के प्रयोग का पूर्ण ब्यौरा न देकर यह लिखा जाना कि सामान "प्रयुक्त" (प्रयोग) कर लिया गया, से क्रय किये गये सामान की वास्तविकता / सत्यता पर सन्देह होना स्वाभाविक है। अतः भविष्य में स्टॉक रजिस्टर में खपत का पूर्ण ब्यौरा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस प्रकार के कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैं।

स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	क्रय किये गये सामान का ब्यौरा	क्रय की तिथि	राशि
145	जी० आई० पाईप	15-2-99	245-00
148	3 वाल कॉक 2 सॉकेट 1 [illegible] 1 [illegible] कॉक 1 [illegible]	15-2-99	13[illegible]-00
148	2 जी० आई० पाइप 1 जी० आई० [illegible]	16-2-99	[illegible]

स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	क्रय किये गये सामान का ब्यौरा	क्रय की तिथि	मात्रा
156	वाल्व	30-7-01	100+ST
156	रबड़	30-7-01	10+ST
156	निप्पल	30-7-01	15+S.T

(क) विविध :- विश्राम गृह के बिजली के बिलों के भुगतान की प्रविष्टि किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं की जा रही है अतः भविष्य में बिजली के बिलों के भुगतान हेतु एक अलग रजिस्टर का रख-रखाव किया जाए, जिसमें बिजली की खपत के यूनिट, अवधि तथा बिल में दर्शाई गई राशि का विवरण दिया जाए ताकि बिजली के बिलों के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

(ख) जिला लोक सम्पर्क अधिकारी को सौंपेक विश्राम गृह के खाली आवास को आवासीय हेतु 7006 रु० मासिक किराये पर दिया गया था। परन्तु उक्त कार्यालय के स्थानान्तरित होने के कारण उक्त आवास 20.4.[illegible] से अनुपयुक्त/खाली है। अतः उक्त आवास [illegible]

पुनः निरीक्षण पर देने हेतु तैयार किये ... ताकि निरीक्षण ... की ... में ... सकें।

18. **लघु आपत्ति विवरणिका** :- इसे जारी नहीं किया गया।

19. **निष्कर्ष** :- लेखों में सुधार की आवश्यकता।

हस्ता/-
अनुभाग अधिकारी
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला

पृष्ठांकन संख्या 188 दिनांक 1-4-04.
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई टिप्पणियों का साटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण, निदेशालय हमीरपुर (हि० प्र०)।
3. सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हि० प्र० शिमला-2।
4. जिलाधीश, सोलन, जिला सोलन को सूचनार्थ हेतु।
5. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला।

ह० अपठित
अनुभाग अधिकारी
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला